

प्रति,

वनमंडला अधिकारी
उत्तर वनमंडल शहडोल म0प्र0

विषय:- शहडोल जिले में टेली सोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा अमिलई-व्यौहारी रूट में ओ0एफ0सी0 लाइन डालने हेतु
0.3 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत्। (FP/MP/OFC/147401/2021)

संदर्भ:- कमांक/मा0चि0/2269 दिनांक 25/04/2022

अधिरूपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन-पत्र संलग्न भेजा जा रहा है-

अधिरूपित शर्त

पालन प्रतिवेदन

अधिरूपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
1. म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र दिनांक 12/09/2008 से आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई न होने पर नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि को पूर्णतः छूट प्रदान किया गया है।	1 मान्य है।
2. प्रस्तावित पाइनलाइन विछाने हेतु गडढा खोदने के उपरान्त समतलीकरण किया जाना सुनिश्चित करें	2 मान्य है।
3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने में वन क्षेत्र में प्रत्येक 500 मीटर का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एवं समतल होने के उपरान्त ही अंगले 500 मीटर पर कार्य किया जावे।	3 मान्य है।
4. वन भूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली नाली का आकार प्रस्ताव अनुसार 0.60 मीटर चौड़ाई एवं गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं रखी जावे।	4 मान्य है।
5. राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।	5 मान्य है।
6. वन भूमि व्यवर्तन/उपयोगार्थ की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट आफ वे के तहत है राइट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।	6 मान्य है।
7. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	7 मान्य है।
8. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	8 मान्य है।
9. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गयी निकाली गयी मिट्टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मण्डल कार्यालय को आवेदक स्वयं लिखित में दिया जाना सुनिश्चित करें।	9. मान्य है।
10. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जावेगा।	10. मान्य है।
11. खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जावेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा।	11. मान्य है।



12.	यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वह वन मण्डला अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।	12	मान्य है।
13.	सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व वन भूमि पर कोई भी कार्य नहीं कराया जावेगा।	13	मान्य है।
14.	औपचारिक स्वीकृत जारी दिनांक से मात्र 01 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगी। इसके उपरान्त स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।	14	मान्य है।
15.	किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी एवं वन मण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल शहडोल को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।	15	मान्य है।
16.	उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव जन्तुओं व वनस्पतियों को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।		मान्य है।
17.	परियोजना क्षेत्र में बसे हुए आदिम जाति एवं कृषि पूर्व समुदाय के मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगी।		मान्य है।
18.	आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।		मान्य है।
19.	आवेदक संस्थान को यदि भविष्य में भारत सरकार/ राज्य शासन/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म0प्र0 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0व्ही0 जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होंगी।		मान्य है।



मे टेलीसोनिक नेटवर्क लिमि0
3, फ्लोर मेट्रो टावर नियर विजयनगर
इन्दौर म0प्र0